1038(H)

संख्याः /1/2006-03(1)/14/05

प्रेषक,

डा0एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांक 28, मार्च, 2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–2006 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3723/2005/उरेडा/11(11)/नॉन प्लान(2)/05, दिनांक 03 मार्च, 2006 एवं शासनादेश संख्या 5319/1/2005-03(1)/14/05 दिनांक 08.11.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–2006 में आयोजनेत्तर पक्ष में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में व्यय हेतु रु0 05.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– स्वीकृत धनराशि की फांट निदेशक, उरेडा, देहरादून द्वारा मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के लिये करने के उपरान्त शासन को अवगत कराया जायेगा और धनराशि का आहरण आवश्यकता अनुसार ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा तैयार/हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर कोषागार से धनराशि का आहरण किया जायेगा। उरेडा मुख्यालय से सम्बन्धित धनराशि का आहरण वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा तैयार बिल पर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त किया जायेगा।

3– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एम0 एण्ड डी0 अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियम एवं मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

5– वित्तीय वर्ष 2005–06 में इसके पूर्ववर्ती वर्षो में एरियर भुगतान, यदि कोई हो, के विवरण की सूचना उरेडा द्वारा अलग से रखी जायेगी।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

7– उक्त धनराशि का उसी स्थिति में उपयोग किया जायेगा जब अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि से भी उरेडा के नान प्लान मद का आवश्यक व्यय की पूर्ति न हो सके।

....2

7- दूरभाष एवं पी0ओ0एल0 में शासन के मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उक्त सुविधायें (दूरभाष/वाहन) यदि एक स्थान /विभाग से एक हैसियत से प्राप्त हो चुकी है तो उन्हें पुनः विभागीय बजट से अनुमन्य नहीं किया जायेगा। अनुमन्य अधिकारियों को मोबाइल, दूरभाष यदि शासन की स्वीकृति से दिया गया है उसी स्थिति में उसका व्यय विभागीय बजट से वहन किया जायेगा। पी0ओ0एल0 में अत्यधिक व्यय किया जा रहा है जबकि उक्त मद में मितव्ययता के आदेश हैं । अतः इस मद में किसी भी स्थिति में विगत वर्ष के वास्तविक व्यय से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

8- इस मद में और धनराशि इस वित्तीय वर्ष में अवमुक्त नहीं की जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा और प्रशासनिक व्यय हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर शासन की अनुमति से औचित्य प्राप्त होने पर ही व्यय किया जायेगा अथवा उस सीमा तक राज्य सरकार का अनुदान का उपयोग नहीं किया जायेगा।

10- अप्रैल, 2005 से नये पदों के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह 'क', 'ख', 'ग' व 'घ' में) की सूचना उरेडा द्वारा रखी जायेगी, जिससे वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत श्रेणीवार भरे जाने वाले पदों तथा इसके सापेक्ष होने वाले व्यय की जानकारी प्राप्त हो सके।

11- यात्रा व्यय तथा पी0ओ0एल0 एवं वाहन अनुरक्षण पर मितव्ययता के आधार पर व्यय किया जायेगा।

12- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810-वैकल्पिक ऊर्जा-60-ऊर्जा के अन्य स्त्रोत-आयोजनेत्तर-800-अन्य-03-प्रशासनिक व्यय-01-उरेडा के लिये अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा ।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 516/XXVII(2)/2006, दिनांक 28 मार्च, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

1038(1)
संख्या /I/2006-03(1)/14/05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3- समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4- समस्त परियोजनाधिकारी, उरेडा।
5- वित्त अनुभाग-2
6- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
7- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव